भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5565
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केरल राज्य को आवंटित धनराशि

5565. श्री शफी परम्बिलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केरल राज्य को आवंटित और वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है; और
(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केरल राज्य को जारी की जाने वाली कोई राशि बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा उपलब्ध संसाधनों के अधीन, स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों से उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन सीमा के साथ-साथ मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान केरल राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निर्गत धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में.)

वित्त वर्ष	**केंद्रीय निर्गम**
2021-22	771.47
2022-23	1,036.76
2023-24	189.15
2024-25	1,351.79

नोट:

1 उपरोक्त निर्गम में केवल केंद्र सरकार का अनुदान शामिल है और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

2 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्गत राशि को दिनांक 31.03.2025 तक अद्यतन किया गया है, जो अंतर्संशोधन और अनंतिम है।

******